

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744-225059 (का.), 226389 (नि) ई-मेल dfo-rajnandgaon.cg @gov.in

ज्ञापन क्र./मा.चि./18/ 5864
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक 30.07/2021

कार्यपालन अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग 01
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 73.426 ha. of Forest land in favor of PWD, NH Division No. 1 Raipur for Wideing and Upgradation to 2-lane / 4 lane of NH-930 Jhalmala-balod-kushumkasa-manpur-kohka in Rajnandgaon Forest Division in the state of chhattishgarh-regarding.

संदर्भ : आपका पत्र क्र./2065/शिल्प/930/2021 दिनांक 24.07.2021

- 000 -

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख कि प्रकरण प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 03 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आपके द्वारा वर्ष 2020-21 की दर 7,26,270.00 रु प्रति हे. की दर से 10,66,54,202.00 रु जमा किये गये थे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-739/1462 दिनांक 07.07.2021 द्वारा जोकि आपको भी संबोधित है के बिन्दु क्रमांक 02 में स्पष्ट किया गया है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण के दर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती रहेगी एवं वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम कार्यवाही तक अंतर की राशि देय होगी। चूंकि विषयांतर्गत प्रकरण में प्रथम चरण की ही स्वीकृति प्राप्त है।

अतः आप शेष अंतर की राशि 01,06,65,420.00 (एक करोड़ छः लाख पैसठ हजार चार सौ बीस रु मात्र) ई चालान के माध्यम से कैम्पा मद अंतर्गत जमा करावे साथ ही चालान की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पृ. क्र./मा.चि./18/ 5865
प्रतिलिपि :-

वन मंडल अधिकारी
वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)
राजनांदगांव, दिनांक 30/7/2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी वनमंडल बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

वन मंडल अधिकारी
वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)